

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद कर्मांक 1 एवं 2

भारत शासन द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के स्वरूप में परिवर्तन कर वित्तीय मापदण्डों में बढ़ोत्तरी के कारण ₹ 3000.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।